

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड-सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज

पीठासीन अधिकारी:- श्री अनील कुमार जैन RAS

मुस्तफा बनाम मोहम्मद हुसेन आदि

प्रकरण संख्या:- 28/2017

1. मुस्तफा माता कुलसुम पति अयुब जाति घाची उम्र वयस्क निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज

वादीगण

बनाम

1. मोहम्मद हुसेन घाची माता कुलसुम जाति घाची
2. युसुफ घाची माता कुलसुम जाति घाची
3. जरीना घाची पिता सदीक जाति घाची
4. अयुब घाची पिता सदीक घाची
5. रूकैया पिता मुसा घाची
6. मेहरूनीसा पिता मुसा घाची
7. युसुफ पिता अयुब घाची निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज
8. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित:-


1. श्री बालगोविन्द पाटीदार अधिवक्ता वादी
2. श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188, 209 राज.का.अधिनियम ।

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में दिनांक 28/12/2020 को प्रथमिक डिक्री एवं आदेश पारित किया गया है तहसीलदार तहसील सीमलवाडा को बटवारा स्किम पेश करने आदेश दिया गया, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा द्वारा गाँव सीमलवाडा के खसरा संख्या 1810, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1834, 1847, की बटवार स्किम पेश की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्किम पर उभय पक्ष की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई ऐसे में तहसीलदार तहसील सीमलवाडा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार अलग-अलग खाते दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार रिकार्ड में बटवारे कर अलग-अलग खाते कायम किए जावे।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर राज

यह निर्णय आज दिनांक 09/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर राज